

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर
वित्त भवन ,ए-ब्लॉक , ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , फ़ैक्स 0141-2742309 ,ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-429 / 2023) / अलेसे-III / 10363

दिनांक:- 22-12-25

कार्यालय आदेश

श्री सुनील कुमार कुलरिया, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 746023) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय संयुक्त निदेशक, निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02.04.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 02.04.2025 से 08.04.2025 (07 दिवस)

दिनांक 26.05.2025 से 13.06.2025 (19 दिवस)

कुल (26 दिवस)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री सुनील कुमार कुलरिया, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।


(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(एस-429 / 2023) / अलेसे-III / 10363

दिनांक:- 22-12-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय संयुक्त निदेशक, निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदया।
3. संयुक्त निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
4. श्री सुनील कुमार कुलरिया, कनिष्ठ लेखाकार, (रोल नं. 746023) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), कार्यालय संयुक्त निदेशक, निदेशालय निरीक्षण विभाग जयपुर।


(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)